JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 'सप्तांग' सिद्धांत : प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था की मजबूत नींव

द्वारा
डॉ0 विनायक कुमार उपाध्याय

सारांश–
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में वर्णित 'सप्तांग सिद्धांत' प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल आधार है। यह राज्य को सात अविभाज्य अंगों, स्वामी (शासक), अमात्य (मंत्री), जनपद (भूमि एवं प्रजा), दुर्ग (सुरक्षित राजधानी), कोष (अर्थव्यवस्था), दण्ड (सेना एवं न्याय), तथा मित्र (कूटनीतिक सहयोगी) को एक जैविक इकाई मानता है। कौटिल्य के अनुसार, इन अंगों का 'सामंजस्य' राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य है।
यह सिद्धांत 'मौर्य साम्राज्य' (चंद्रगुप्त–अशोक काल) में साकार हुआ, जहाँ प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक समृद्धि और सैन्य शक्ति ने इसे एशिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में स्थापित किया। आधुनिक युग में भी इसकी प्रासंगिकता अक्षुण्ण है:–

- नेतृत्व की जवाबदेही (स्वामी),
- पारदर्शी प्रशासन (अमात्य),
- जनकल्याण (जनपद),
- राष्ट्रीय सुरक्षा (दुर्ग–दण्ड),
- आर्थिक सुदृढ़ता (कोष), तथा
- रणनीतिक कूटनीति (मित्र)

कौटिल्य का दृष्टिकोण ''कोशमूलो दण्डः'' (धन ही शक्ति का आधार है) जैसे सूत्रों के माध्यम से आज भी शासन कला को प्रेरित करता है।

मुख्य शब्दः– अर्थशास्त्र , सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड, मित्र, प्रशासनिक दक्षता, सामंजस्य, प्रजा कल्याण, मौर्य साम्राज्य, राजधर्म, कूटनीति

प्रस्तावना–

चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा रचित 'अर्थशास्त्र' प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा, शासन प्रणाली और कूटनीति का एक अद्वितीय एवं सम्पूर्ण ग्रंथ है। यह मात्र एक आर्थिक ग्रंथ न होकर राज्य के संचालन हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शिका है। इसी ग्रंथ में प्रतिपादित 'सप्तांग सिद्धांत (सात अंगों का सिद्धांत)' राज्य की संरचना एवं सफलता के लिए आवश्यक सात मूलभूत तत्वों या अंगों की पहचान कराता है। यह सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला एक मौलिक एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक अंग की विस्तृत व्याख्या, उसका महत्व, आपसी अंतर्संबंध और समकालीन प्रासंगिकता शामिल है।

सप्तांग सिद्धांत–

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण (पुस्तक) के द्वितीय अध्याय में स्पष्ट रूप से राज्य के सात अंगों का उल्लेख किया है:–

''स्वाम्यमात्यौ पुरं जनपदो दुर्ग कोषो दण्डो मित्राणीति प्रकृतयः।'' (अर्थशास्त्र, 1.2.1)

अर्थात् स्वामी (शासक), अमात्य (मंत्री), जनपद (जनता एवं भूमि), दुर्ग (दुर्ग/किला), कोष (कोष/धन), दण्ड (सेना/दंड शक्ति) और मित्र (मित्र राष्ट्र) – ये राज्य की सात प्रकृतियाँ (राज्य के अंग) हैं।

इन सात अंगों को 'प्रकृति' कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि ये राज्य के मूलभूत, स्वाभाविक और अविभाज्य घटक हैं। कौटिल्य का मानना था कि एक सशक्त और स्थिर राज्य के लिए इन सभी सात अंगों का होना अनिवार्य है और उनमें परस्पर सामंजस्य एवं समन्वय होना चाहिए। वे एक रथ के पहियों की तरह हैं; एक के कमजोर होने पर पूरा राज्य अस्थिर हो सकता है।

कौटिल्य ने इन अंगों की श्रेष्ठता का क्रम भी निर्धारित किया है। उनके अनुसार, 'स्वामी' (शासक) सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात क्रमशः अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और अंत में मित्र का स्थान है (अर्थशास्त्र, 6.1.1)। यह क्रम इस बात को दर्शाता है कि आंतरिक संस्थाओं और साधनों को बाह्य सहयोगियों (मित्र) से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

सप्तांगों का विस्तृत विश्लेषण–

1. स्वामी (The Sovereign)-

स्वामी राज्य का शीर्षस्थ प्रमुख होता है, जिस पर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का दायित्व होता है। वह निर्णय लेने, कानून बनाने, न्याय करने और राज्य की रक्षा करने का अंतिम अधिकारी होता है। कौटिल्य ने एक आदर्श शासक के लिए 36 गुणों का विस्तृत विवरण दिया है, जिन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

जन्मजात गुण : उच्च कुल में जन्म, दृढ़ इच्छाशक्ति, उत्साही, सहनशील, कुशाग्र बुद्धि (अर्थशास्त्र, 1.5.1–6)।

बौद्धिक गुण : वेदत्रयी (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद) का ज्ञान, अर्थशास्त्र (राजनीति, अर्थनीति) में निपुणता, तर्कशक्ति (आन्वीक्षिकी), विज्ञानों (वार्ता–कृषि, पशुपालन, वाणिज्य) का ज्ञान (अर्थशास्त्र, 1.5.7–8)। वह 'त्रयी' (तीन वेद) और 'आन्वीक्षिकी' (तर्कशास्त्र) में पारंगत होना चाहिए।

चारित्रिक एवं नैतिक गुणः दूरदर्शिता, संयम, कृतज्ञता, दानशीलता, सत्यनिष्ठा, धैर्य, लोकहितकारी, ईर्ष्यारहित, अक्रोधी, इंद्रियनिग्रह (अर्थशास्त्र, 1.6.1–4; 1.7.1–9;)। ''प्रजासुखे सुखं राज्ञः'' – प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, यह उनका मूलमंत्र था।

दैनिक आचरणः शासक को अपना दिन और रात आठ पहरों में विभाजित करके राजकाज, न्याय, सलाहकारों से मंत्रणा, जनता से मिलना, विश्राम आदि कार्यों में व्यतीत करना चाहिए (अर्थशास्त्र, 1.19.1–34)। यह अनुशासन और समर्पण को दर्शाता है।

राजकाज की समीक्षा, न्यायिक कार्य, मंत्रिपरिषद के साथ विचार–विमर्श, गुप्तचरों से सूचना प्राप्ति, प्रजा से सीधा संवाद (जन शिकायत सुनना), सेना का निरीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन एवं विश्राम आदि गुणों को आवश्यक माना गया है । यह अनुशासन, समर्पण और प्रजा के प्रति जवाबदेही को दर्शाता है।

स्वामी राज्य का केंद्र बिंदु और प्रेरक शक्ति है। उसके गुणों, निर्णय क्षमता और नैतिक चरित्र पर ही राज्य की सफलता, स्थिरता और प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। वह अन्य सभी अंगों को सक्रिय करने वाली ऊर्जा है। उसकी कमजोरी या दुराचार पूरे राज्य तंत्र को नष्ट कर सकती है। कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि ''यथा राजा तथा प्रजा''– जैसा राजा होगा, वैसी ही प्रजा होगी।

2. अमात्य (The Ministers and Officials)

अमात्य से तात्पर्य मंत्रियों, सलाहकारों और उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों से है। ये शासक को नीति निर्धारण, प्रशासनिक कार्यों के संचालन, कूटनीतिक मामलों और विभिन्न विभागों के प्रबंधन में सहायता करते हैं।

गुण एवं चयन– कौटिल्य ने अमात्यों के योग्यता पर आधारित चयन को अत्यंत महत्व दिया है। उनके अनुसार अमात्य होने चाहिए :

जन्म एवं शिक्षाः उच्च कुल में जन्मे, वेदों और अर्थशास्त्र में पारंगत।

बौद्धिक गुणः कुशाग्र बुद्धि, स्मरणशक्ति, तर्कशक्ति, विवेकशीलता, निर्णय क्षमता।

चारित्रिक गुणः ईमानदार, वफादार, परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान, गोपनीयता बनाए रखने वाले, लोभरहित (अर्थशास्त्र, 1.9. 1–2; 1.10.1–19)। उन्होंने चयन हेतु गुप्त परीक्षणों (उपधा परीक्षा) का भी विधान बताया है – धन, धर्म, काम और भय के प्रलोभन देकर उनकी निष्ठा और चरित्र की परख करना।

मंत्रिपरिषदः कौटिल्य ने एक मंत्रिपरिषद (मंत्रिमण्डल) के गठन की सलाह दी है, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हों। महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक चर्चा के बाद ही लिए जाने चाहिए।

अमात्य शासक और प्रजा के बीच की कड़ी हैं। एक योग्य प्रशासनिक तंत्र राज्य की दक्षता, न्यायपालन और सुशासन की आधारशिला है। भ्रष्ट या अयोग्य अमात्य राज्य के लिए अभिशाप बन सकते हैं।

3. जनपद (The Territory and Population):

'जनपद' शब्द दो शब्दों– 'जन' (लोग) और 'पद' (स्थान/भूमि) से मिलकर बना है। अतः यह राज्य की भौगोलिक सीमाओं और उस सीमा के भीतर निवास करने वाली प्रजा दोनों को सम्मिलित रूप से दर्शाता है। कौटिल्य ने उपजाऊ भूमि, खनिज संसाधनों, जल स्रोतों, वनों और रणनीतिक स्थान वाले क्षेत्र को आदर्श राज्य क्षेत्र माना है। भूमि कृषि, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा का आधार है।

प्रजा राज्य का वास्तविक आधार है। कौटिल्य ने प्रजा को 'राज्य की सम्पत्ति' कहा है। एक समृद्ध, संतुष्ट, अनुशासित और कर्तव्यपरायण जनसंख्या ही राज्य को शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने प्रजा के कल्याण – रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और न्याय पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है (अर्थशास्त्र, 1.19.34)। शासक को प्रजा के सुख–दुःख से अवगत रहना चाहिए। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को मान्यता दी है, लेकिन उनका ध्यान व्यावहारिक प्रशासन और सामाजिक स्थिरता पर अधिक था। उन्होंने सभी वर्गों के हितों की रक्षा और कर्तव्यों के निर्धारण पर बल दिया।

जनपद राज्य की भौतिक और मानवीय पूंजी है। बिना भूमि और प्रजा के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रजा की संतुष्टि और सक्रिय भागीदारी राज्य की शक्ति का स्रोत है।

4. दुर्ग (The Fortified Capital):

दुर्ग से तात्पर्य सिर्फ किले या गढ़ से नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, संरक्षित राजधानी या प्रशासनिक केंद्र से है। यह राज्य का हृदय स्थल होता है। कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, जो अलग–अलग प्राकृतिक सुरक्षा सुविधाओं पर आधारित हैं–

औदक दुर्ग (जल दुर्ग)– नदी, समुद्र या दलदल से घिरा हुआ।
पार्वत दुर्ग (पर्वत दुर्ग)– पहाड़ियों या पहाड़ों पर स्थित।
धान्वन दुर्ग (रेगिस्तानी दुर्ग)– रेगिस्तान या जल विहीन क्षेत्र में स्थित।
वन दुर्ग (वन दुर्ग)– घने जंगलों से घिरा हुआ।
इनके अतिरिक्त कृत्रिम दुर्ग (मानव निर्मित) और मिश्रित दुर्ग (प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा वाले) का भी उल्लेख है (अर्थशास्त्र, 2.3.1–7)। दुर्ग की प्रमुख भूमिकाएँ हैं–

- सुरक्षा– शत्रु के आक्रमण से राजधानी, शासक, प्रशासनिक तंत्र, कोषागार और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा करना।
- प्रशासनिक केंद्र– राज्य का प्रमुख शासनिक मुख्यालय।
- आपातकालीन आश्रय– युद्ध या प्राकृतिक आपदा के समय प्रजा के लिए सुरक्षित स्थान।

संरचना एवं प्रबंधनः दुर्ग को मजबूत दीवारों, गहरी खाईयों, सुरक्षा चौकियों, भंडार गृहों, जलस्रोतों और आवश्यक सुविधाओं से युक्त होना चाहिए। इसका प्रबंधन एक योग्य दुर्गपति के हाथ में होना चाहिए।

दुर्ग राज्य की सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। यह आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण दोनों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक ढाल प्रदान करता है। एक सुदृढ़ दुर्ग शासक और प्रजा दोनों में आत्मविश्वास पैदा करता है।

5. कोष (The Treasury)-

कोष राज्य के आर्थिक संसाधनों, धन–सम्पदा और राजस्व का भंडार है। कौटिल्य के लिए धन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत था। उनका प्रसिद्ध कथन है–

''कोशमूलो दण्डः।'' (अर्थशास्त्र, 2.12.37 (दण्ड (सेना/प्रशासनिक शक्ति) की जड़ कोष (धन) है।) अर्थात, सेना का गठन, प्रशासन का संचालन, जनकल्याण के कार्य, मित्र राष्ट्रों को सहायता – सब कुछ कोष की समृद्धि पर निर्भर करता है।

कौटिल्य ने राज्य की आय के विविध स्रोत बताए हैं–

- भूमि कर– उपज का 1/6 से 1/4 भाग (भाग, बलि)।
- व्यापारिक कर– आयात–निर्यात शुल्क (शुल्क), बाजार कर, चुंगी।
- सीमा शुल्क (दुर्ग)
- खानों एवं वनों से आय।
- जुर्माने और जब्ती।
- युद्ध में प्राप्त लूट।

कोष से होने वाले व्यय में शासक एवं प्रशासन का खर्च, सेना का रखरखाव, सार्वजनिक कार्य (सिंचाई, सड़कें, भवन), जनकल्याण (अकाल राहत, अनाथालय), राजदूतों का खर्च, मित्र राष्ट्रों को सहायता आदि शामिल हैं।

कोष प्रबंधनः कौटिल्य ने कोष के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया है। कोषागार सुरक्षित दुर्ग में होना चाहिए। आय–व्यय का सटीक लेखा–जोखा (लेख्य) रखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर कठोर दंड का प्रावधान है। धन का संचय आवश्यक माना गया है, विशेषकर संकटकाल के लिए।

कोष राज्य की आर्थिक शक्ति और स्वावलंबन का प्रतीक है। यह अन्य सभी अंगों, विशेषकर दण्ड (सेना) और प्रशासन, को संचालित करने की क्षमता प्रदान करता है। एक खाली कोष राज्य की कमजोरी का सूचक है।

6. दण्ड (The Army and the Power to Punish):

1. सैन्य बल (The Army): राज्य की स्थायी या अर्ध–स्थायी सैन्य शक्ति, जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथी, नौसेना और सहायक सेवाएं शामिल हैं।

2. दंड देने की शक्ति (The Power to Punish/Coercion): राज्य की वह क्षमता जिसके द्वारा वह कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करता है, आंतरिक शांति–व्यवस्था बनाए रखता है और न्याय सुनिश्चित करता है। यह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है।

कौटिल्य ने एक आदर्श सेना के लिए आवश्यक गुण बताए हैं–

- वंशानुगत सैनिक (कुलपुत्र)– जिनके परिवार का सैन्य इतिहास हो।
- प्रशिक्षित, अनुशासित, वफादार और साहसी।
- शारीरिक रूप से सक्षम।
- उचित वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले।

सैन्य संगठनः सेना का संगठन स्पष्ट पदानुक्रम (सेनापति, नायक आदि) पर आधारित होना चाहिए। युद्ध रणनीति, शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण, गुप्तचरों का उपयोग और रसद (भोजन, चारा, औषधि) की उचित व्यवस्था पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। कौटिल्य ने छापामार युद्ध, घेराबंदी और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी तकनीकों का भी उल्लेख किया है।

दंड शक्तिः कानून के शासन को स्थापित करने के लिए दंड शक्ति अनिवार्य है। कौटिल्य ने कहा है– ''दण्डस्य हि भूतानामरक्षितारं भक्षयन्ति।'' (अर्थशास्त्र, 1.4.13–14) (दंड ही प्रजा की रक्षा करता है; यदि दंड न हो तो प्रजा को कोई भी खा जाएगा।) उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी बल दिया है। दंड उचित, न्यायसंगत

और कानून द्वारा निर्धारित होना चाहिए।

दण्ड राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा तथा कानून के शासन की गारंटी है। यह राज्य की संप्रभुता और प्रभुत्व को बनाए रखता है। एक शक्तिशाली और अनुशासित दण्ड (सेना एवं न्यायिक प्रणाली) राज्य की प्रतिष्ठा और विस्तार का आधार है।

7. मित्र (The Ally):

मित्र से तात्पर्य ऐसे राज्य या राजाओं से है जो शत्रु के विरुद्ध सहयोग करने के लिए तैयार हों। कौटिल्य ने मित्रों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा है–

सहज मित्र (Natural Ally): वह राज्य जो स्थायी रूप से शत्रु का शत्रु है या जिसके साथ पारिवारिक संबंध हैं। यह संबंध अधिक विश्वसनीय माना जाता है।

कृत्रिम मित्र (Acquired Ally): वह राज्य जिसके साथ समझौते, संधियों या समान हितों के आधार पर मित्रता स्थापित की गई हो। इसकी विश्वसनीयता स्थितियों पर निर्भर करती है।

कौटिल्य ने मित्रता के लिए कई सिद्धांत दिए हैं–

- सामान्य शत्रुः शत्रु के शत्रु को स्वाभाविक मित्र माना जा सकता है।
- राज्य हितः मित्रता राज्य के हित में होनी चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं।
- शक्ति संतुलनः कमजोर राज्य को शक्तिशाली राज्यों से मित्रता करनी चाहिए, परन्तु सावधानीपूर्वक।
- विश्वासघात से सावधानीः मित्रों पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए; गुप्तचरों द्वारा उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए।
- मित्र की सहायताः विपत्ति के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए, लेकिन उसकी अत्यधिक शक्ति बढ़ने नहीं देनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अकेले राज्य का टिके रहना कठिन है। मित्र शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करने, संसाधनों को बढ़ाने, कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करने और राज्य की सुरक्षा व प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कौटिल्य की प्रसिद्ध नीति 'मंडल सिद्धांत' भी शत्रु और मित्र राज्यों की पहचान और उनके साथ व्यवहार पर आधारित है।

सप्तांगों में अंतर्संबंध एवं सामंजस्य–

कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समग्रता और अंगों के बीच पारस्परिक निर्भरता में निहित है। ये सात अंग अलग–थलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं–

स्वामी और अमात्यः एक योग्य शासक योग्य मंत्रियों का चयन करता है और उन पर विश्वास करता है। योग्य मंत्री शासक को सही सलाह देकर राज्य को सफल बनाते हैं। शासक के अयोग्य होने पर मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं।

जनपद और कोषः एक समृद्ध जनपद (उपजाऊ भूमि और उत्पादक प्रजा) ही कोष को भरता है। भरा हुआ कोष जनपद के विकास (सिंचाई, सड़कें, सार्वजनिक कल्याण) में वापस लगाया जाता है, जिससे जनपद की समृद्धि बढ़ती है।

कोष और दण्डः कोष के बिना सेना का गठन, प्रशिक्षण और रखरखाव असंभव है (कोशमूलो दण्डः)। एक शक्तिशाली सेना सुरक्षित सीमाओं और व्यापार मार्गों को सुनिश्चित करके कोष को बढ़ाने में मदद करती है।

दुर्ग और जनपद/स्वामीः दुर्ग जनपद और राजधानी की सुरक्षा करता है, विशेषकर शासक और प्रशासनिक तंत्र की। सुरक्षित राजधानी से ही प्रभावी शासन संभव है।

दण्ड और जनपदः सेना प्रजा को बाह्य आक्रमणों और आंतरिक अराजकता से सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे प्रजा शांतिपूर्वक उत्पादन कार्य कर सकती है। एक संतुष्ट प्रजा ही सेना के लिए सैनिक और संसाधन उपलब्ध कराती है।

मित्र और अन्य अंगः मित्र बाह्य खतरों को कम करके दण्ड (सेना) पर दबाव घटाते हैं। मित्र देशों के साथ व्यापार कोष को बढ़ा सकता है। कूटनीतिक मित्रता दुर्ग की सुरक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर सकती है।

कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि इन सभी अंगों में सामंजस्य (समन्वय) होना अत्यंत आवश्यक है। यदि एक अंग कमजोर होता है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव अन्य अंगों पर पड़ता है और पूरा राज्य कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोष खाली है, तो सेना कमजोर होगी; कमजोर सेना होने पर दुर्ग भी असुरक्षित हो जाएगा और शत्रु आक्रमण कर सकता है। अतः शासक का कर्तव्य है कि वह सभी सात अंगों के सतत विकास और उनके बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे।

आधुनिक संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत की प्रासंगिकता–

हालांकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगभग 2300 वर्ष पुराना है, परन्तु उसमें निहित सप्तांग सिद्धांत के मूल सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक शासन व्यवस्था के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं–

- शक्तिशाली एवं जिम्मेदार नेतृत्व (स्वामी): आधुनिक लोकतंत्र में चुने हुए नेता (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति) स्वामी की भूमिका निभाते हैं। उनसे भी दूरदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही और जनकल्याण की भावना की अपेक्षा की जाती है।
- कुशल एवं निष्पक्ष प्रशासन (अमात्य): आधुनिक नौकरशाही, मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारी अमात्य के

समकक्ष हैं। भ्रष्टाचारमुक्त, योग्यता आधारित, जनसेवा के लिए समर्पित और जवाबदेह प्रशासन आज भी सुशासन की कुंजी है।

- जनता की भागीदारी एवं कल्याण (जनपद): लोकतंत्र में 'जनपद' (जनता) ही सर्वोपरि है। उनका कल्याण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति राज्य का प्राथमिक उद्देश्य है। स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) जनपद की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आंतरिक व्यवस्था (दुर्ग एवं दण्ड): आधुनिक राष्ट्र–राज्यों की सशस्त्र सेनाएँ, पुलिस बल और खुफिया एजेंसियाँ 'दण्ड' के अंतर्गत आती हैं। सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा बल, साइबर सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट सहित न्यायपालिका राज्य की संप्रभुता और कानून के शासन को बनाए रखती हैं। सुरक्षित राजधानी और महत्वपूर्ण अवसंरचना की अवधारणा 'दुर्ग' के आधुनिक रूप हैं।
- आर्थिक सुदृढ़ता एवं वित्तीय प्रबंधन (कोष): सरकार का वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक 'कोष' के प्रबंधन का कार्य करते हैं। कर नीति, बजट प्रबंधन, आर्थिक नियोजन, अवसंरचना विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन आधुनिक कोष प्रबंधन के ही रूप हैं। आर्थिक स्थिरता आज भी राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख आधार है।
- कूटनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध (मित्र): विदेश मंत्रालय और राजनयिक सेवाएँ 'मित्र' अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। गठबंधन, सामरिक साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सदस्यता और आपसी हितों वाली संधियाँ आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मित्रता के रूप हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत और 'साम, दाम, दंड, भेद' की नीति आज भी विदेश नीति विश्लेषण में प्रासंगिक है।

निष्कर्ष–

कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक अद्वितीय देन है। यह राज्य को एक जीवंत और जटिल संगठन के रूप में देखता है, जिसके सुचारू संचालन के लिए सात मूलभूत अंगों– स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र का होना और उनमें सामंजस्य बना रहना परमावश्यक है। प्रत्येक अंग का अपना विशिष्ट महत्व और कार्य है, किन्तु वे एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे को सशक्त बनाते हैं।

यह सिद्धांत केवल एक सैद्धांतिक विवरण नहीं है, बल्कि मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य के निर्माण का व्यावहारिक आधार बना। कौटिल्य की दूरदर्शिता इस बात में है कि उन्होंने राज्य की सफलता के लिए सैन्य शक्ति या आर्थिक संसाधनों के अतिरिक्त नेतृत्व के गुणों, प्रशासनिक ईमानदारी, जनकल्याण, न्यायपूर्ण शासन और कूटनीतिक कौशल जैसे मानवीय और नैतिक पहलुओं को समान महत्व दिया।

आज के जटिल वैश्विक परिवेश में भी 'सप्तांग सिद्धांत' एक जिम्मेदार और दूरदर्शी नेतृत्व, एक कुशल और जवाबदेह प्रशासन, जनकेंद्रित नीतियाँ, सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत अर्थव्यवस्था, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी– किसी भी राष्ट्र की स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा के लिए अनिवार्य तत्व बने हुए हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और उसमें निहित सप्तांग सिद्धांत न केवल भारत की समृद्ध राजनीतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह आधुनिक शासन कला के लिए एक सार्थक और प्रासंगिक दर्शन प्रस्तुत करता है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

संदर्भ सूची

- गैरोला, वाचस्पति, कौटिलीय–अर्थशास्त्रम
- शास्त्री, उदयवीर, कौटिलीय अर्थशास्त्र
- Kangle, R. P. (1965)- The Kautiliya Arthasastra, part: 1-3
- Shamasastry, R. (1915)- Kautilya's Arthashastra
- Rangarajan, L. N. (1992)- Kautilya: The Arthashastra- Penguin Classics- singh, upinder (2016): political violence in ancient India
- Thapar, R. (2013): the past before us historical traditions of early north india
- मनुस्मृति, गीता प्रेस, गोरखपुर
- मुद्राराक्षस (विशाखदत्त), चौखम्भा ओरियंटालिया